

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र)

(18 फरवरी, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		
पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री		
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण सहकारिता	— " —	19 फरवरी, 2015	— 12 फरवरी, 2015
	— " —	26 फरवरी, 2015	— 19 फरवरी, 2015
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री	11 मार्च, 2015	— 4 मार्च, 2015
परिवहन	परिवहन मंत्री	18 मार्च, 2015	— 11 मार्च, 2015
सूचना प्रौद्योगिकी	— " —	25 मार्च, 2015	— 18 मार्च, 2015
विज्ञान और टेक्नालॉजी	— " —		
लोक सेवा प्रबंधन	— " —		
जन शिकायत निवारण	— " —		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-2			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
नर्मदा घाटी विकास	— " —		
विमानन	— " —		
संस्कृति	— " —		
पर्यटन	— " —		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	20 फरवरी, 2015	— 13 फरवरी, 2015
वित्त	— " —	27 फरवरी, 2015	— 20 फरवरी, 2015
वाणिज्यिक कर	— " —	12 मार्च, 2015	— 5 मार्च, 2015
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	— " —	19 मार्च, 2015	— 12 मार्च, 2015
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	26 मार्च, 2015	— 19 मार्च, 2015
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	— " —		
जनसंपर्क	— " —		
खनिज साधन	— " —		
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
उच्च शिक्षा	— " —		
वर्ग-3			
गृह	गृह मंत्री		
जेल	— " —		
पशुपालन	पशुपालन मंत्री		
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	— " —	23 फरवरी, 2015	— 13 फरवरी, 2015
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	— " —	2 मार्च, 2015	— 23 फरवरी, 2015
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	— " —	13 मार्च, 2015	— 7 मार्च, 2015
विधि और विधायी कार्य	— " —	20 मार्च, 2015	— 13 मार्च, 2015
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	— " —	27 मार्च, 2015	— 19 मार्च, 2015
राजस्व	राजस्व मंत्री		
पुनर्वास	— " —		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री		

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

वर्ग-4

लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
नगरीय विकास एवं पर्यावरण	नगरीय विकास मंत्री	24 फरवरी, 2015	— 16 फरवरी, 2015
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	उद्योग मंत्री	3 मार्च, 2015	— 23 फरवरी, 2015
सार्वजनिक उपक्रम	—''—	16 मार्च, 2015	— 7 मार्च, 2015
खेल एवं युवा कल्याण	—''—	23 मार्च, 2015	— 16 मार्च, 2015
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	—''—		
वन	वन मंत्री		

वर्ग-5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री		
चिकित्सा शिक्षा	—''—	25 फरवरी, 2015	— 18 फरवरी, 2015
आयुष	—''—	4 मार्च, 2015	— 24 फरवरी, 2015
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	—''—	17 मार्च, 2015	— 9 मार्च, 2015
संसदीय कार्य	—''—	24 मार्च, 2015	— 17 मार्च, 2015
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री		
आदिम जाति कल्याण	आदिम जाति कल्याण मंत्री		
अनुसूचित जाति कल्याण	—''—		
श्रम	श्रम मंत्री		
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	—''—		
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	—''—		

भोपाल :
दिनांक : 19 जनवरी, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

- नोट.— 1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी.
2. प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त प्रारूप में ही भेजें.
3. प्रश्नों के उत्तर भेजने की अंतिम तिथि का कॉलम उपर्युक्त प्रश्नोत्तर के प्रारूप में दर्शित नहीं है, अतः इस विवरण के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई उत्तर भेजने की अंतिम तिथि अनुसार ही कार्यालय समय में उत्तर अनिवार्यतः भेजे जावें.
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ" के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा.
5. प्रश्नों के उत्तर तीन प्रतियों में तथा यदि संलग्न परिशिष्ट तीन पृष्ठों से अधिक का हो तो तीन प्रतियों में सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर भेजे जावें.
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्त के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए. उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे.

प्र-1 अ 1606

भोपाल, दिनांक 22-1-2015

प्रतिलिपि :—

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्य मंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव, तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों,

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.